

कार्यकारी सारांश



राजस्थान के बारां जिले के अटरू तहसील के गांव कवई में मौजूदा 1320 (2x660) मेगावाट में 3200 (4x800) मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट जोड़कर चरण-II के तहत कवई थर्मल पावर प्लांट का प्रस्तावित विस्तार

परियोजना प्रस्तावक
अडानी पावर लिमिटेड

पर्यावरण सलाहकार
गौरांग एनवायरनमेंटल सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
(NABET/EIA/23-26/RA 0338)

May'2025

कार्यकारी सारांश

1 परिचय

अदानी पावर लिमिटेड (एपीएल), जो विविधीकृत अदानी समूह का एक हिस्सा है, भारत में सबसे बड़ी निजी ताप विद्युत उत्पादक कंपनी है। इसकी ताप विद्युत संयंत्र उत्पादन क्षमता 17,510 मेगावाट है, जिसमें भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड राज्यों में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र शामिल हैं।

अटरू, गांव कवई में मौजूदा 1320 (2x660) मेगावाट में 3200 (4x800) मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट जोड़कर चरण-II के तहत कवई थर्मल पावर प्लांट के विस्तार का प्रस्ताव दिया है।

07.05.2024 और 27-28.05.2024 को आयोजित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स), एमओईएफ एंड सीसी (MoEFCC) की 9^{वीं} बैठक और 11^{वीं} बैठक में संदर्भ की शर्तों (टीओआर) के प्रस्ताव पर विचार किया गया और उसका मूल्यांकन किया गया। इस परियोजना को एमओईएफ एंड सीसी, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 29.07.2024 को एफ संख्या जे-13012/154/2008-आईए.II (टी) के तहत संदर्भ की शर्तों (टीओआर) के साथ मंजूरी दी गई। एपीएल की प्रस्तावित विस्तार परियोजना के लिए टीओआर पत्र की प्रति **अनुलग्नक 1** के रूप में संलग्न है।

2. परियोजना का विवरण

परियोजना की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं: -

तालिका 1: परियोजना की मुख्य विशेषताएं

क्र. सं.	विशिष्ट	विवरण
1.	परियोजना क्षेत्र एवं श्रेणी	: 1(डी), थर्मल पावर प्लांट और श्रेणी "ए"
		मौजूदा प्रस्तावित कुल
2.	संयंत्र क्षमता	: 1320 मेगावाट (2 x 660) मेगावाट 3200 मेगावाट (4 x 800) मेगावाट 4520 मेगावाट (1320+3200) मेगावाट
3.	भूमि की आवश्यकता (हेक्टेयर में)	: 350 472.45 822.45



				(वन विभाग के निरीक्षण के बाद कोयला कन्वेयर के लिए विद्युत संयंत्र परिसर के बाहर 1.758 हेक्टेयर वन क्षेत्र शामिल है)	
4.	ग्रीनबेल्ट और वृक्षारोपण (हेक्टेयर में)	:	120	169.44	289.44 हेक्टेयर (35%)
5.	तकनीक	:	सुपर-क्रिटिकल	अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल	सुपर-क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल
6.	कोयले की आवश्यकता (मिलियन एमटीपीए)	:	5.50	12.9	18.4
7.	ईंधन का स्रोत	:	जीतपुर , रम्पिया , उझेनी की कोयला खदानों से कोयला एवं प्रस्तावित परियोजना के लिए ई-नीलामी।		
8.	कोयला परिवहन	:	रेल के माध्यम से.		
9.	राख उत्सर्जन (मिलियन एमटीपीए)	:	5.16		
10.	परियोजना लागत (करोड़ में)	:	8264.59	36,600	44864.59
11.	जल की आवश्यकता एवं जल आवंटन	:	34	56	90
			34 एमसीएम के लिए जल संसाधन विभाग की अनुमति पहले ही प्राप्त हो चुकी है तथा 56 एमसीएम अतिरिक्त जल आवंटन के लिए आवेदन जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रस्तुत किया जा चुका है।		
12.	जल स्रोत	:	परवन नदी/बांध से जल पाइपलाइन के माध्यम से		

तालिका 2: पर्यावरण सेटिंग और साइट कनेक्टिविटी का विवरण

क्र. सं.	विशिष्ट	हवाई दूरी और दिशा सहित विवरण		
1.	परियोजना का पता	ग्राम कवई, तहसील अटरू , जिला बारां, राजस्थान		
2.	भौगोलिक निर्देशांक	क्र.सं.	अक्षांश	देशान्तर
		1	24°48'49.45"	76°43'52.90"
		2	24°49'52.57"	76°43'13.78"
		3	24°49'18.09"	76°43'9.64"



क्र. सं.	विशिष्ट	हवाई दूरी और दिशा सहित विवरण		
		4	24°50'16.91"	76°42'16.70"
		5	24°50'17.26"	76°41'49.49"
		6	24°48'52.21"	76°42'36.87"
		7	24°48'12.53"	76°43'23.90"
		8	24°48'7.23"	76°43'44.16"
		9	24°47'20.05"	76°43'34.43"
		10	24°47'17.07"	76°43'58.42"
		11	24°47'2.40"	76°44'42.01"
		12	24°45'43.52"	76°44'29.90"
3.	एसओआई टोपोशीट	G43W9, G43W10, G43W13 और G43W14		
4.	साइट की ऊंचाई	औसत साइट ऊंचाई – 315 मीटर AMSL		
1.	अपने पारिस्थितिकी, भूदृश्य, सांस्कृतिक या अन्य संबंधित मूल्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, राष्ट्रीय या स्थानीय कानून के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र।	अध्ययन क्षेत्र में उनके भूदृश्य और सांस्कृतिक मूल्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत कोई संरक्षित क्षेत्र नहीं है। परियोजना स्थल के 10 किलोमीटर के भीतर 15 पीएफ और आरएफ हैं।		
2.	पारिस्थितिक कारणों से महत्वपूर्ण या संवेदनशील क्षेत्र - आर्द्रभूमि, जलमार्ग या अन्य जल निकाय, तटीय क्षेत्र, जैवमंडल, पर्वत, वन।	विवरण	दूरी (किमी में)	दिशा
		आरक्षित वन (आरएफ), संरक्षित वन (पीएफ)		
		खेलडी बिरदागड्डियां ब्लॉक वन	साथ लगा हुआ।	इ
		कवई कलां ब्लॉक वन	साथ लगा हुआ।	एसएसई
		दारा ब्लॉक वन	साथ लगा हुआ।	डब्ल्यू
		बीर दारानीमोदा ब्लॉक (आरएफ)	साथ लगा हुआ।	एन
		कवई ब्लॉक वन	0.12	डब्ल्यू
		बीर सुंडा उमरीवाला ब्लॉक (आरएफ)	0.4	इ
		बलदेवपुरा ब्लॉक	0.55	एन
		छतरपुरा ब्लॉक वन	0.85	डब्ल्यूएनडब्ल्यू
		बीर परल्या ब्लॉक वन	3	डब्ल्यूएसडब्ल्यू
		रतन ब्लॉक वन	3.1	एनएनडब्ल्यू
		डिलोड ब्लॉक (पीएफ)	3.2	एन
		नरसिंहपुरा (पीएफ)	3.2	ईएनई
		उग्रपुरा (पीएफ)	6.3	डब्ल्यूएसडब्ल्यू
		बीर गोविंदपुरा ब्लॉक	7.8	एनएनडब्ल्यू



क्र. सं.	विशिष्ट	हवाई दूरी और दिशा सहित विवरण		
		सिगरी ब्लॉक (पीएफ)	7.9	एन
		नदियाँ, नाले, जल निकाय		
		विवरण	दूरी (किमी में)	दिशा
		ल्हासी नाड़ी	0.35	एसएसई
		अंधेरी नदी	0.55	इ
		रुप्सी नाला	5	डब्ल्यूएसडब्ल्यू
		कुकर तालाब	6.9	डब्ल्यूएसडब्ल्यू
		घोघरा नाला	7.5	डब्ल्यू
		प्रभाती नहर	7.7	एनएनडब्ल्यू
3.	संरक्षित, महत्वपूर्ण या संवेदनशील वनस्पतियों या जीवों की प्रजातियों द्वारा प्रजनन, घोंसला बनाने, भोजन की तलाश, आराम करने, शीतकाल बिताने, प्रवास के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र।	10 किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं		
4.	अंतर्देशीय, तटीय, समुद्री या भूमिगत जल।	10 किलोमीटर की परिधि में स्थित जल निकायों की सूची ऊपर दी गई है।		
5.	राज्य, राष्ट्रीय सीमाएँ	राजस्थान-मध्यप्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा पूर्व दिशा में लगभग 7.5 किमी की दूरी पर है।		
6.	मनोरंजन या अन्य पर्यटक, तीर्थ क्षेत्रों तक पहुंच के लिए जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले निकटतम राजमार्ग/प्रमुख सड़क/मार्ग या सुविधाएं	विवरण	दूरी (किमी में)	दिशा
		एसएच 37ए	0.2	पश्चिम
		एसएच 51	1.0	दक्षिण पश्चिम
		एमडीआर 4	4.9	उत्तरपश्चिम
		* स्रोत: दूरी गूगल अर्थ इमेजरी से ली गई है।		
7.	रक्षा प्रतिष्ठान	10 किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं		
8.	घनी आबादी वाला या निर्मित क्षेत्र / प्रमुख शहर	प्रस्तावित स्थल के आस-पास कोई घनी आबादी वाली बस्ती नहीं है। अटरू शहर उत्तर-पश्चिम दिशा में लगभग 4.10 किमी की दूरी पर स्थित है।		
9.	निकटतम निवास स्थान	बस्ती / गांव	दूरी (किमी)	दिशा
		कवई	1.0	दक्षिण पश्चिम
		फुलबड़ौदा	1.4	ईएसई
		बिलखेड़ा	2.0	इ
		बारलान	2.0	डब्ल्यूएसडब्ल्यू
		* स्रोत:- गूगल अर्थ इमेजरी से ली गई दूरी।		



क्र. सं.	विशिष्ट	हवाई दूरी और दिशा सहित विवरण		
10.	प्रमुख उद्योग/विनिर्माण इकाइयाँ	10 किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं		
10.	संवेदनशील मानव निर्मित भूमि उपयोग वाले क्षेत्र (अस्पताल, स्कूल, पूजा स्थल, सामुदायिक सुविधाएं)	विवरण	दूरी (किमी में)	दिशा
		शिक्षा सुविधाएं		
		राजकीय प्राथमिक विद्यालय अटरू ,	4.0	उत्तरपश्चिम
		राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अटरू	5.6	उत्तरपश्चिम
		शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बरावदा	8.2	डब्ल्यूएसडब्ल्यू
		राजकीय विद्यालय नयागाव	2.8	इ
		पूजा स्थल		
		हिन्दू मंदिर, कवई	1.1	दक्षिण पश्चिम
		राधे कृष्ण मंदिर, कवई	0.9	डब्ल्यूएसडब्ल्यू
		नर्बदेश्वर महादेव , कवई	0.3	डब्ल्यू
		हनुमान मंदिर, दिलोद	4.6	ईएनई
		स्वास्थ्य सुविधाएं		
		राजकीय अस्पताल अटरू	5.4	उत्तरपश्चिम
		सरकारी अस्पताल, कोलूखेड़ा	1.8	ईएनई
		सरकारी अस्पताल कवई	0.9	डब्ल्यूएसडब्ल्यू
		* स्रोत: - गूगल अर्थ इमेजरी से ली गई दूरी		
16.	वे क्षेत्र जो पहले से ही प्रदूषण या पर्यावरणीय क्षति से ग्रस्त हैं।	एपीएल का परियोजना क्षेत्र सीपीसीबी द्वारा घोषित किसी भी गंभीर या अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।		
17.	प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील क्षेत्र, जो परियोजना के कारण पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं।	यह परियोजना राजस्थान के बारां जिले में आती है। राजस्थान का पूरा बारां जिला भूकंपीय क्षेत्र II में आता है, जो कि BMTPC के अनुसार कम क्षति जोखिम वाला क्षेत्र है, भारत के भूकंपीय क्षेत्र की भेद्यता एटलस IS: 1893-2002 के अनुसार।		
साइट कनेक्टिविटी (प्रोजेक्ट सीमा से गूगल अर्थ इमेजरी के अनुसार हवाई दूरी और प्रोजेक्ट के केंद्र से दिशा)				
क्र. सं.	विवरण	विवरण		
1.	निकटतम राजमार्ग / प्रमुख सड़क	विवरण	दूरी (किमी में)	दिशा
		एसएच 37ए	0.2	पश्चिम
		एसएच51	1.0	दक्षिण पश्चिम
		एमडीआर 4	4.9	उत्तरपश्चिम



क्र. सं.	विशिष्ट	हवाई दूरी और दिशा सहित विवरण		
		* स्रोत:- सभी दूरियां SOI टोपोशीट के संबंध में ली गई हैं		
2.	निकटतम रेलवे स्टेशन	विवरण	दूरी (किमी में)	दिशा
		कटनी -बीना लाइन पर सलपुरा रेलवे स्टेशन	संयंत्र सीमा से सटे	दक्षिण पश्चिम
3.	निकटतम हवाई अड्डा	विवरण	दूरी (किमी में)	दिशा
		जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	238	एनएनई

2.1 प्रक्रिया एवं कार्यप्रणाली

4x800 मेगावाट क्षमता वाले विद्युत संयंत्र की प्रस्तावित विस्तार परियोजना में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है और तदनुसार उच्च चक्र दक्षता प्राप्त करने के लिए अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल स्टीम मापदंडों के साथ 800 मेगावाट की चार इकाइयों पर विचार किया जा रहा है।

प्रस्ताव की मुख्य तकनीकी विशेषताएं

विद्युत उत्पादन इकाई	:	800 मेगावाट टर्बाइन जनरेटर सेट की चार इकाइयां, कोयले से चलने वाले पीएफ बॉयलर से भाप द्वारा संचालित होती हैं, जो अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल रेंज पर काम करती हैं।
शीतलन प्रणाली	:	प्रेरित ड्राफ्ट कूलिंग टॉवर के साथ बंद पुनःपरिसंचरण कंडेनसर शीतलन प्रणाली।
कोयला हैंडलिंग प्रणाली	:	कोयला हैंडलिंग सुविधा, जिसमें भारतीय रेलवे के माध्यम से कोयले की प्राप्ति, संयंत्र में कोयला हैंडलिंग प्रणाली और अंत में बंकर स्तरीय कन्वेयर को कोयला उपलब्ध कराना शामिल है।
राख निपटान प्रणाली	:	फ्लाई ऐश को सूखे रूप में साइलो में एकत्र किया जाएगा, ताकि राख के 100% उपयोग के लिए सभी प्रयास किए जा सकें। फ्लाई ऐश अधिसूचना, 31.12.2021 और संशोधनों के अनुपालन में सीमेंट निर्माण उद्योगों, परित्यक्त खदानों, निचले इलाकों को भरने, ईटों के निर्माण, सड़क निर्माण, कंक्रीट में एग्रीगेट प्लेसमेंट आदि के लिए राख का उपयोग किया जाएगा। राख के उच्च/मध्यम सांद्रता वाले घोल के रूप में राख के बांध में निपटान का प्रावधान किया जाएगा।
बिजली निकासी	:	400 केवी स्तर पर राज्य ट्रांसमिशन यूनिट (एसटीयू) या केंद्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयू) तक
पर्यावरणीय पहलु	:	99.99% से अधिक दक्षता वाले पर्याप्त रूप से डिज़ाइन किए गए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर और नवीनतम MoEF&CC के अनुसार उत्सर्जन मानदंडों का



	अनुपालन करने वाले चयनात्मक उत्प्रेरक कमी (SCR)/SOFA सिस्टम के लिए विस्तृत व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। MoEF&CC अधिसूचना के अनुसार अपशिष्ट जल की गुणवत्ता बनाए रखी जानी चाहिए। शून्य प्लांट डिस्चार्ज सुविधा मौजूद होगी क्योंकि कूलिंग वाटर, ब्लो डाउन वाटर, अपशिष्ट जल और राख के पानी को पुनः उपयोग के लिए उपयुक्त उपचार के बाद राख प्रबंधन के लिए सिस्टम में वापस रीसाइकिल किया जाएगा।
--	--

2.2 राख प्रबंधन प्रणाली

प्रत्येक इकाई के लिए, बॉटम ऐश को गीले रूप में एकत्र किया जाएगा; जबकि फ्लाई ऐश को उपयोग में आसानी के लिए सूखे रूप में एकत्र किया जाएगा। फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश को लीन स्लरी/मध्यम /हाई कंसन्ट्रेशन स्लरी डिस्पोजल (HCSD) सिस्टम के माध्यम से ऐश डाइक में आपातकालीन स्थिति में निपटाया जाएगा; ऐश एक्सट्रैक्शन सिस्टम यूनिटाइज्ड आधार पर है और 4x800MW के लिए ऐश डिस्पोजल सिस्टम सामान्य होगा। बॉटम और फ्लाई ऐश दोनों के ट्रक द्वारा निपटान का प्रावधान किया गया है।

राख प्रबंधन प्रणाली के डिजाइन के लिए, प्रत्येक इकाई के लिए निम्नलिखित डेटा पर विचार किया गया है। उपकरण क्षमता का चयन करते समय आवश्यक डिजाइन मार्जिन पर विचार किया जाएगा।

मेज़ 3: राख उत्पादन की मात्रा

पैरामीटर	4x800 मेगावाट
प्रति घंटा कोयला (3,200-4300 किलोकैलोरी / किग्रा जीसीवी) फायरिंग दर, प्रति यूनिट (लगभग)	368.15 टीपीएच
कुल राख सामग्री	40%
बॉटम ऐश (बी.ए. + इको. ऐश) उत्पादन @ 20% (टी/दिन)	2,828
फ्लाई ऐश (ईएसपी + एपीएच ऐश) उत्पादन @ 80% (टी/दिन)	11,308
कुल राख उत्पादन (टी/दिन)	14,136
वार्षिक राख उत्पादन @ 85% पीएलएफ (एमएमटीपीए)	5.16



प्रस्तावित परियोजना के लिए फ्लाई ऐश के उपयोग हेतु एपीएल और ऐशटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

2.3 पर्यावरण का विवरण

परियोजना स्थल के अध्ययन क्षेत्र में अक्टूबर से दिसंबर 2024 की अवधि के दौरान वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और पारिस्थितिकी की आधारभूत पर्यावरणीय गुणवत्ता का आकलन किया गया है।

2.3.1 आधारभूत डेटा

परिवेशी वायु गुणवत्ता:

परियोजना स्थल के अंदर और आसपास ग्यारह परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का चयन किया गया। निगरानी किए गए डेटा के परिणाम दर्शाते हैं कि परिवेशी वायु गुणवत्ता सीपीसीबी द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर थी।

- PM10: PM10 का अधिकतम मान 69.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ तथा न्यूनतम मान 42.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ था।
- PM2.5: PM2.5 का अधिकतम मान 48.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ और PM2.5 का न्यूनतम मान 24.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ था।
- SO₂: SO₂ का अधिकतम मान 10.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ था और SO₂ का न्यूनतम मान 2.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ था।
- NO_x: NO_x का अधिकतम मान 23.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ और न्यूनतम मान 5.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ था।
- CO: CO का अधिकतम मान 0.9 mg/m³ तथा CO का न्यूनतम मान 0.3 mg/m³ था।
- पारा: सभी स्थानों पर पारा का स्तर पता लगाने की सीमा से नीचे था।

पानी की गुणवत्ता:

क्षेत्र में आधारभूत जल गुणवत्ता की स्थिति उन्नीस स्थानों पर नमूनों का विश्लेषण करके स्थापित की गई है, जिसमें आठ भूजल नमूने और सात सतही जल नमूने शामिल हैं। यह पाया गया कि भूजल और सतही जल दोनों की गुणवत्ता निर्धारित सीमा के भीतर है।



परिणाम

भूजल

पैरामीटर	:	परिणाम
pH	:	7.65 से 7.76
TDS	:	1038 मिग्रा/ली – 1214 मिग्रा/ली
Total Hardness	:	408 मिग्रा/ली – 477 मिग्रा/ली
Total Alkalinity	:	160 मिग्रा/ली – 176 मिग्रा/ली

ऊपरी तह का पानी

पैरामीटर	:	परिणाम
pH	:	6.78 से 7.11
DO	:	5.2 मिलीग्राम/ली – 6 मिलीग्राम /ली
BOD	:	2 मिग्रा/ली -4 मिग्रा/ली
COD	:	6 मिग्रा/ली – 12 मिग्रा/ली

शोर का स्तर:

देखे गए ध्वनि स्तर सीपीसीबी मानकों के अनुरूप हैं, जो निगरानी किए गए स्थानों में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर को इंगित करते हैं।

दिन के समय शोर का स्तर Leq(दिन)

दिन के समय (Leq) ध्वनि स्तर की निर्धारित सीमा के भीतर देखा गया।

रात्रि के समय शोर का स्तर Leq(रात)

रात्रि के समय (Leq night) ध्वनि स्तर की निर्धारित सीमा के भीतर देखा गया।

मिट्टी की गुणवत्ता:

पहचाने गए स्थानों से एकत्र किए गए नमूनों से पता चलता है कि मिट्टी थोड़ी क्षारीय है और इसका पीएच 7.41 से 7.65 के बीच है। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ 0.73% से 0.94% तक है। अध्ययन क्षेत्र में देखी गई मिट्टी की बनावट ज्यादातर रेतीली है।

पैरामीटर	:	परिणाम
pH	:	7.41 से 7.65 (थोड़ा क्षारीय)
Organic कार्बन	:	0.73 % से 0.94 %



एन.पी.के	:	10.4 से 12.6 मिलीग्राम/किग्रा 10.8 से 14.8 मिलीग्राम/किग्रा 160 से 210 मिलीग्राम/किग्रा
----------	---	---

जैविक वातावरण:

कोर जोन: वनस्पति :

वनस्पति:

कोर जोन में 22 वृक्ष प्रजातियां, 9 झाड़ियां, 14 सामान्य जड़ी-बूटी, घास और चढ़ने वाले पौधों की प्रजातियां पाई गईं।

जीव-जंतु:

2 स्तनधारी प्रजातियाँ, 19 पक्षी, 2 सरीसृप, 3 तितलियाँ देखी गईं।

मध्यवर्ती क्षेत्र:

वनस्पति:

परियोजना क्षेत्र के बफर जोन में 110 वृक्ष प्रजातियां, 42 झाड़ियां और जड़ी-बूटियां, 13 घास, 12 चढ़ने वाले पौधे और 24 औषधीय प्रजातियां पाई गई हैं।

क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान बफर जोन में 11 कृषि प्रजातियां, 9 सब्जी प्रजातियां और 10 फल प्रजातियां पाई गईं।

लगभग 13 जलीय वनस्पतियों, 13 फाइटोप्लांकटन प्रजातियों की जानकारी प्राप्त हुई।

जीव-जंतु:

परियोजना के 10 किलोमीटर बफर अध्ययन क्षेत्र में 17 स्तनधारी प्रजातियां, 141 पक्षी, 14 सरीसृप जीव, 18 तितलियां, 15 पतंगे और 09 जलीय प्रजातियां देखी गईं।

सामाजिक-आर्थिक वातावरण:

कुल जनसंख्या

अध्ययन क्षेत्र में 20,014 परिवार हैं। परियोजना क्षेत्र में आने वाली कुल जनसंख्या 10 किलोमीटर के दायरे में 1,01,964 है। कुल पुरुष आबादी 51.89% है और महिला आबादी कुल आबादी का 48.11% है। 10.0 किलोमीटर के अध्ययन क्षेत्र का लिंग अनुपात 927 महिलाओं पर एक हजार पुरुषों का है। एक

परिवार में लगभग 4 से 5 सदस्य हैं। 0-6 आयु वर्ग की आबादी अध्ययन क्षेत्र की कुल आबादी का 14.82% है। 0-6 आयु वर्ग की आबादी का लिंग अनुपात 898 महिलाओं पर एक हजार पुरुषों का है। चित्र 3.30 कुल जनसंख्या का लिंग अनुपात दर्शाता है।

साक्षरता

सात वर्ष या उससे अधिक आयु के वे व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकते हैं, साक्षर माने जाते हैं। अध्ययन क्षेत्र में साक्षर लोगों की संख्या 1,03,634 है जो कुल जनसंख्या का 57.80% है। साक्षर पुरुष कुल पुरुष जनसंख्या का 69.49% हैं, और साक्षर महिला कुल महिला जनसंख्या का 45.18% हैं। अध्ययन क्षेत्र में निरक्षर लोग 75,670 हैं जो कुल जनसंख्या का 42.20% है। निरक्षर पुरुष कुल पुरुष जनसंख्या का 30.50% हैं, और साक्षर महिला कुल महिला जनसंख्या का 54.81% हैं। चित्र 3.3 अध्ययन क्षेत्र के 10.0 किमी के भीतर साक्षर और निरक्षर।

कम करने वाली जनसंख्या

अध्ययन क्षेत्र में कार्य सहभागिता 84,002 है जो कुल जनसंख्या का 46.85% है। अध्ययन क्षेत्र में पुरुष कार्य सहभागिता पुरुष जनसंख्या के सापेक्ष 52.17% है तथा महिला कार्य सहभागिता महिला जनसंख्या के सापेक्ष 41.11% है। चित्र 3.3 कुल जनसंख्या पर कुल कार्य सहभागिता जनसंख्या को दर्शाता है।

4. अनुमानित पर्यावरणीय प्रभाव और शमन उपाय

निर्माण चरण के दौरान:

परियोजना क्षेत्र की मिट्टी की गुणवत्ता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ने की परिकल्पना की गई है। निर्माण गतिविधियाँ संयंत्र की सीमा तक ही सीमित रहेंगी। इसलिए, संयंत्र की सीमा से परे स्थित अध्ययन क्षेत्र की मिट्टी की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा है।



परिचालन चरण के दौरान:

4.1 वायु पर्यावरण

बॉयलरों से निकलने वाले पीएम को ईएसपी द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और कोयला हैंडलिंग सिस्टम के लिए बैग फिल्टर, पीएम उत्सर्जन को नियंत्रित करेंगे। NO_x उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए De-NO_x सिस्टम प्रदान किए जाएंगे। उपयोगिताओं के लिए आगे परिवहन के लिए सूखी रूप में फ्लाई ऐश के संग्रह के लिए ऐश साइलो प्रदान किए जाएंगे।

शमन के उपाय

एपीएल, कवई SO₂, NO_x और PM के लिए एमओईएफसीसी, सीपीसीबी/एसपीसीबी के मानकों के अनुसार अनुपालन करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ईएसपी), Low NO_x बर्नर के साथ SCR/SOFA की De-NO_x प्रणाली, इन नियंत्रणों के साथ पर्याप्त स्टैक ऊंचाई प्रस्तावित है, भारत में विभिन्न अन्य टीपीपी में मापी गई उत्सर्जन सीमाओं के नीचे एचजी उत्सर्जन लाया जाना अपेक्षित है।

रेलवे साइडिंग और कोल हैंडलिंग प्लांट में आवश्यक धूल दमन व्यवस्था और बैग फिल्टर का उपयोग किया जाएगा। परिवहन के दौरान भगोड़े उत्सर्जन को कम करने के लिए कोयला वैगनों की ऊपरी सतह पर पर्याप्त मात्रा में छिड़काव किया जाएगा। भगोड़े धूल उत्सर्जन को कम करने के लिए बेल्ट कन्वेयर को कवर किया जाएगा। सहायक ईंधन परिवहन कभी-कभार होगा; इसलिए इसका प्रभाव सीमित समय अवधि के लिए होगा। उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए फ्लाई ऐश साइलो को बैग फिल्टर से सुसज्जित किया जाएगा। प्लांट की सड़कों, प्लेटफार्मों और भंडारण क्षेत्र में नियमित हाउसकीपिंग की जाएगी।

4.2 जल पर्यावरण

परियोजना से निकलने वाले कुल अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रित किया जाएगा, जिसमें CW ब्लोडाउन, WT प्लांट, कोल पाइल एरिया रनऑफ और प्लांट ड्रेन से निकलने वाले अपशिष्टों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। घरेलू सीवेज को एसटीपी में उपचारित किया जाएगा और इसका उपयोग ग्रीनबेल्ट/वृक्षारोपण में किया जाएगा। वर्षा जल संचयन संरचना के माध्यम से क्षेत्र के भूजल व्यवस्था



में कुल वार्षिक पुनर्भरण 1,349,537.04 m³ / वर्ष होगा। भूजल निष्कर्षण नहीं किया जाएगा, जिससे जल संसाधनों पर न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित होगा।

कंडेनसर कूलिंग के क्लोज्ड साइकिल री-सर्कुलेशन सिस्टम के लिए 56 एमसीएम/वर्ष की जल आवश्यकता को परवन नदी/बांध से संयंत्र स्थल तक लगभग 18.4 किलोमीटर लम्बी मौजूदा जल पाइपलाइन के माध्यम से खींचा जाएगा। 2x660 मेगावाट टीपीपी के लिए जल संसाधन विभाग जयपुर, राजस्थान से पत्र संख्या सीईडब्ल्यूआर/टीए (डब्ल्यू)/1482 दिनांक 11.08.2009 के अनुसार 34 एमसीएम/वर्ष जल निकासी की अनुमति पहले ही प्राप्त कर ली गई है। 56 एमसीएम/वर्ष अतिरिक्त जल आवंटन के लिए आवेदन 03.06.2024 को जल संसाधन विभाग, जयपुर (राजस्थान) को प्रस्तुत किया गया है तथा इसे प्राप्त कर लिया जाएगा। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) अवधारणा को प्राप्त करने के लिए संयंत्र के पुनः उपयोग के लिए बिजली संयंत्र के अपशिष्ट जल का उपयोग करने का प्रस्ताव है। राख प्रबंधन उद्देश्यों के लिए शीतलन जल ब्लो डाउन का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है और उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग वृक्षारोपण और बागवानी गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

4.3 शोर पर्यावरण

- शोर कम करने के उपायों में इन्सुलेशन, डैम्पिंग पैड और ध्वनिक बाड़े शामिल हैं।
- श्रमिकों के लिए नियमित उपकरण रखरखाव और सुरक्षा गियर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- शोर का स्तर नियमों के अनुरूप होगा, 1 मीटर की दूरी पर 75 डीबी (ए) से अधिक नहीं होगा।
- व्यापक तेल लगाने, स्नेहन और निवारक रखरखाव से शोर का उत्पादन कम हो जाएगा।
- उन क्षेत्रों में इयरप्लग उपलब्ध कराए जाएंगे जहां शोर का स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक हो सकता है।
- पर्यवेक्षक, मशीनरी की स्थिति और साइलेंसर का उचित रखरखाव सुनिश्चित करेंगे।
- परियोजना परिसर के भीतर तथा संयंत्र सीमा के आसपास पर्याप्त हरित पट्टी विकसित की जाएगी।



4.4 सामाजिक-आर्थिक वातावरण

कंपनी ग्रामीणों के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय विकास के लिए एक से अधिक तरीकों से कई कदम उठाएगी। कंपनी की सीएसआर गतिविधियों द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का विवरण रिपोर्ट के "परियोजना लाभ" के अध्याय 8 में विस्तार से वर्णित है। कंपनी भविष्य में भी समाज के विकास के लिए काम करती रहेगी। स्थानीय आबादी के लिए अतिरिक्त आर्थिक अवसर समाज में दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव पैदा करेंगे। परियोजना में किसी भी प्रदूषक का बहाव नहीं होता है और यह शून्य जल बहाव का पालन करती है, इसलिए पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्तमान प्रथाओं के अनुसार गंध को प्रबंधित करने के लिए भी सभी उचित देखभाल की जाएगी और सर्वोत्तम उद्योग प्रथाओं से मेल खाने के लिए इसमें सुधार किया जाएगा।

4.4.1 ठोस एवं खतरनाक अपशिष्ट

- प्लांट से निकलने वाला मुख्य ठोस अपशिष्ट फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश होगा। प्रस्तावित पावर प्लांट से निकलने वाली राख का विवरण तालिका 4.16 में दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार फ्लाई ऐश का 100% उपयोग प्रस्तावित है।
- नीचे की राख को गीले रूप में तथा फ्लाई ऐश को सूखे रूप में एकत्र किया जाएगा। उपयोग में आसानी के लिए फ्लाई ऐश को सूखे रूप में एकत्र किया जाएगा।
- ऐश डाइक 57.06 हेक्टेयर में प्रस्तावित है, जो कि फ्लाई ऐश अधिसूचना दिनांक 31.12.2021 के अनुसार अनुमत **0.1 हेक्टेयर/मेगावाट** (अर्थात् 3200 मेगावाट के लिए 320 हेक्टेयर) से कम है।
- अनावश्यक स्थिति में अप्रयुक्त फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश को उच्च सांद्रता स्लरी निपटान (एचसीएसडी) प्रणाली के माध्यम से ऐश डाइक में निपटाया जाएगा।
- उत्पन्न होने वाली निचली राख को वैधानिक दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) / ईट उत्पादकों / निचले क्षेत्रों को भरने / खदानों के रिक्त स्थानों को भरने के लिए आपूर्ति की जाएगी, जिससे अलग क्षेत्र की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।



तालिका 11.5: प्रस्तावित संयंत्र से राख उत्पादन

क्र. सं.	विवरण	राख की मात्रा मिलियन टीपीए में	प्रबंधन एवं निपटान
1.	फ्लाई ऐश	4.12	सूखे रूप में संग्रहण, बंद साइलो में वायवीय स्थानांतरण और सीमेंट निर्माण, निर्माण कार्य (आरएमसी संयंत्र, सड़क, राजमार्ग), ईंट निर्माण आदि के लिए भेजा जाता है।
2.	नीचे की राख	1.04	गीले रूप में संग्रहण एवं रोड मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) / ईंट उत्पादक / निचले इलाकों का भराव / खदानों के रिक्त स्थानों का भराव

अनावश्यक स्थिति में अप्रयुक्त फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश को उच्च सांद्रता स्लरी निपटान (एचसीएसडी) प्रणाली के माध्यम से ऐश डाइक में निपटाया जाएगा।

प्रभाव

- ठोस एवं खतरनाक अपशिष्ट के अनुचित भंडारण, प्रबंधन और निपटान से मृदा, भूजल और सतही जल प्रदूषित हो जाता है।
- संदूषण खतरनाक अपशिष्ट के फैलने, खतरनाक अपशिष्ट भंडारण क्षेत्र से बहकर आने वाले पानी आदि के कारण भी हो सकता है।
- पौधे मिट्टी से प्रदूषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं तथा विषाक्त पदार्थों को एकत्रित कर लेते हैं, जिससे अंततः मानव/पशु स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

खतरनाक अपशिष्ट

- खतरनाक अपशिष्ट का प्रबंधन, भंडारण और निपटान खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा, जिसमें अब तक संशोधन किया गया है।
- खतरनाक अपशिष्ट भंडारण क्षेत्र के साथ अभेद्य फर्श और डब्ल्यूटीपी से जुड़ने वाली जल निकासी नालियों के साथ अलग से कवर भंडारण क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
- ई-कचरा (~2.0 टीपीए), बैटरी अपशिष्ट (~3 टीपीए), जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (0.02 टीपीए) को लागू नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार संभाला, संग्रहीत और निपटाया जाएगा।



- प्रयुक्त बैटरियां आपूर्तिकर्ता के साथ बायबैक समझौते के तहत आपूर्तिकर्ता को वापस कर दी जाएंगी।
- चिकित्सा इकाई से उत्पन्न जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को निकटतम सीबीडब्ल्यूटीएफ और/या सीबीडब्ल्यूटीएफ के साथ बीएमडब्ल्यू निपटान समझौता रखने वाले अस्पताल को सौंप दिया जाएगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट उत्पादन एवं प्रबंधन

एमएसडब्ल्यू के अनुचित निपटान से समय के साथ मिट्टी, भूजल और सतही जल का प्रदूषण हो सकता है। इससे दुर्गंध की समस्या के साथ-साथ क्षेत्र में रोगवाहकों की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है।

तालिका 6: नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पादन और निपटान

विवरण	जनसंख्या	आधार	उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा (किलोग्राम/दिन में)
श्रमिक	2700	@0.3 किग्रा/दिन	810.0
भूदृश्य	714.91 एकड़	@0.2 किग्रा/एकड़/दिन	143.0
एसटीपी कीचड़ (सूखा)	--	--	50
कुल			1003

लगभग 1.0 TPD उत्पन्न एमएसडब्ल्यू को एकत्रित किया जाएगा, तथा संयंत्र परिसर में रणनीतिक रूप से रखे गए रंग-कोडित बिन संग्रहण प्रणाली का उपयोग करते हुए स्रोत पर ही पृथक किया जाएगा।

MSW के जैविक घटक को अलग किया जाएगा और साइट पर प्रस्तावित जैविक अपशिष्ट कन्वर्टर्स में खाद बनाया जाएगा। शेष अपशिष्ट को नगरपालिका अपशिष्ट डंप साइट पर अंतिम निपटान के लिए ठेकेदार को सौंप दिया जाएगा।



5. वैकल्पिक साइट और प्रौद्योगिकी का विश्लेषण

प्रस्तावित विस्तार मौजूदा थर्मल पावर प्लांट से सटे 470.70 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 350 हेक्टेयर है। विस्तार के बाद थर्मल पावर प्लांट का कुल क्षेत्रफल 820.70 हेक्टेयर होगा। प्रस्तावित परियोजना के लिए कोयला परिवहन प्रणाली में प्लांट की सीमा के बाहर वन क्षेत्र (1.758 हेक्टेयर) शामिल है। चूंकि विस्तार का प्रस्ताव राजस्थान के बारां जिले की अटरू तहसील के गांव कवई में पहले से ही चालू कवई थर्मल पावर प्लांट का है, इसलिए थर्मल पावर प्लांट के लिए किसी वैकल्पिक स्थल की जांच नहीं की गई है। हालांकि, कोयला हैंडलिंग प्लांट से बीटीजी क्षेत्र में कोयले को स्थानांतरित करने के लिए प्रस्तावित कोल कन्वेयर बेल्ट मार्ग के लिए वैकल्पिक मार्ग विश्लेषण किया गया है।

अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट उच्च दक्षता, कम उत्सर्जन और परिचालन लचीलेपन का संयोजन करते हैं, जिससे वे आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन परियोजनाओं के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाते हैं।

6. पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम

पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग

प्रदूषण नियंत्रण की तरह ही निगरानी भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नियंत्रण उपायों की दक्षता केवल निगरानी के माध्यम से ही निर्धारित की जा सकती है। सीईसीबी/सीपीसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना के बाद की निगरानी के तहत निम्नलिखित नियमित निगरानी कार्यक्रम लागू किया जाएगा। थर्मल पावर स्टेशन के निर्माण और संचालन में शामिल प्रमुख पर्यावरणीय विचारों को एक पूर्ण विकसित बहु-विषयक पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग (ईएमडी) द्वारा लिया जाएगा, जिसमें पूरे संयंत्र और आसपास के पर्यावरण के प्रबंधन के लिए पर्यावरण, सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य के प्रमुख कार्य होंगे।

यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रस्तावित विस्तार परियोजना के कारण सामाजिक-आर्थिक प्रभाव स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसरों में सकारात्मक रूप से वृद्धि करेगा। परियोजना का बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लोगों के लिए उपयोगी होगा। राज्य सरकार के राजस्व में योगदान सार्वजनिक



कल्याण और संवर्धित विकास में लगाया जाएगा। संपूर्ण परियोजना क्षेत्र किसी भी लुप्तप्राय वनस्पति और जीव-जंतुओं से रहित है। इसलिए, प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण या आस-पास के कर्मचारियों आदि पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। यह ईएमडी प्रस्तावित मेगा पावर प्लांट से संबंधित पर्यावरणीय कार्यों की अतिरिक्त जिम्मेदारी लेगा।

परिचालन प्रमुख, विद्युत स्टेशन के परिचालन एवं रखरखाव में कंपनी के हितों का प्रतिनिधित्व करेगा तथा ओएंडएम सेल के कामकाज की देखरेख करेगा।

हरी पट्टी:-

हरित पट्टी का विकास सीपीसीबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा तथा विद्यमान हरित पट्टी का पुनः सघनीकरण किया जाएगा।

ईएमपी लागत

ईएमपी के घटक हैं: इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर, चिमनी/स्टैक, सिविल कार्य सहित कूलिंग टॉवर, राख जल पुनःपरिसंचरण सहित राख प्रबंधन, राख निपटान सिविल कार्य, धूल निष्कर्षण एवं दमन प्रणाली, डीएम प्लांट अपशिष्ट उपचार प्रणाली, सीवरेज संग्रहण, उपचार एवं निपटान, ग्रीन बेल्ट एवं भूनिर्माण, एससीआर/सोफा, वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा दोहन, पर्यावरण प्रयोगशाला एवं पर्यावरण निगरानी को बढ़ाना, सीईएमएस, सीएक्यूएमएस, ईक्यूएमएस निगरानी प्रणाली एवं मुख्य द्वार LED डिस्प्ले बोर्ड तथा कोयला भंडारण क्षेत्र में विंड ब्रेकिंग वॉल, ड्राई फॉग सिस्टम एवं आरसीसी फ्लोरिंग। पर्यावरणीय उपायों के लिए 5,992.94 करोड़ रुपये की लागत का प्रावधान किया गया है।

7. अतिरिक्त अध्ययन

जोखिम मूल्यांकन, खतरा विश्लेषण: प्रक्रिया और कच्चे माल (एलडीओ/एचएसडी) से जुड़े जोखिम का अनुमान लगाया गया और उचित शमन उपाय प्रदान किए गए।

क्लोरीन और जलीय अमोनिया के विषाक्त उत्सर्जन के कारण उत्पन्न खतरे का आकलन ALOHA सॉफ्टवेयर की सहायता से किया गया है तथा खतरे वाले क्षेत्र को गूगल अर्थ पर चिह्नित किया गया है।



संयंत्र के भीतर: परिचालन चरण के दौरान संयंत्र में कार्यरत कार्मिक।

संयंत्र के बाहर : परियोजना स्थल के 1.0 किमी के भीतर कोई बड़ी बस्ती नहीं है।

हालाँकि, सभी संभावित जोखिम शमन उपायों को लागू करके इसे कम किया जा सकता है

आपदा प्रबंधन योजना: स्तर I, II और III आपातकाल के साथ ऑन साइट और ऑफसाइट आपातकालीन योजना तैयार की गई है और इस ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट के अध्याय 7 में इसका विस्तृत विवरण दिया गया है।

8. परियोजना लाभ

अदानी फाउंडेशन अदानी समूह की कंपनियों की सीएसआर शाखा है जो भारत में विभिन्न स्थानों पर सीएसआर परियोजनाओं और गतिविधियों को क्रियान्वित करती है। सीईआर गतिविधियों के लिए 66.00 करोड़ रुपये का एक अलग बजट (मंत्रालय के दिनांक 01.05.2018 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार) आवंटित किया गया है, और अंतिम ईआईए के दौरान सार्वजनिक परामर्श के बाद उठाई गई चिंताओं को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि जिम्मेदार कॉर्पोरेट प्रथाओं को सुनिश्चित किया जा सके।

9. निष्कर्ष

यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रस्तावित विस्तार परियोजना के कारण सामाजिक-आर्थिक प्रभाव स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसरों में सकारात्मक रूप से वृद्धि करेगा। प्रस्तावित विस्तार परियोजना मौजूदा संयंत्र परिसर के भीतर होगी। परियोजना का बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लोगों के लिए उपयोगी होगा। राज्य सरकार के राजस्व में योगदान सार्वजनिक कल्याण और संवर्धित विकास में लगाया जाएगा। पूरा परियोजना क्षेत्र किसी भी लुप्तप्राय वनस्पति और जीव से रहित है। इस प्रकार, प्रस्तावित विस्तार परियोजना से पर्यावरण या आसन्न पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

